

**शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—26 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:**

**01. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. बरसाती पुत्र ढोडे नि० मिर्तिहा नौसहरा थाना खरगूपुर जनपद के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—163/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. श्रीमती कमला पत्नी राम दयाल नि० पेड़राई थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—271/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**03. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राम स्नेही पुत्र झुर्रा नि० रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—261/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**04. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. मंजू देवी पत्नी श्रवण कुमार नि० कोट गुसारत पुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—328/20, धारा 60 आबकारी अधि०, 02. बल्लू सोनकर पुत्र नकानू, 03. रमेश कुमार सोनकर उर्फ गुच्चे पुत्र जवाहिर नि० जैदवा मौजा पंचकुटी जगतापुर के कब्जे से 10—10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—329/20, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**05. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. अनिल कुमार सिंह पुत्र पारसनाथ नि० विशेनपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—161/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**06. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. केशव राम पुत्र धर्मराज नि० लालगंज थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—336/20, 02. राम दयाल पुत्र राम सरन नि० महतिनिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—339/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**07. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. राकेश पुत्र बकोले नि० वक्षराज थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—195/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**08. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. ओम प्रकाश पुत्र तुलसीराम नि० रोहनी बाला पुरवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—311/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**09. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—**

01. घनश्याम पुत्र राम स्नेही नि० भदेलीगंज थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—226/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## 10. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बलिराम पुत्र राम समुझ नि० छेदाजोत थाना दुर्जनपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—234/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## 11. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. इन्दर पुत्र राम लखन नि० रघुवर पुरवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—276/20, 02. गुड्डू कोरी पुत्र रामनन्द नि० रामघाट थाना को० अयोध्या जनपद अयोध्या के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—278/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## 12. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. कुलभूषण तिवारी पुत्र स्व० सत्य नरायन तिवारी नि० बढईन पुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—679/20, 02. रजनीश पुत्र गिरीश शुक्ला नि० पोटरगंज थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—680/20, 03. फूलचन्द्र पुत्र स्व० जकेबी नि० नेपालपुरवा थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—681/20, 04. इस्माइल पुत्र मो० हलई नि० घासियाना कटरा माफी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—682/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

## लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर एक्सीडेंट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर एक्सीडेंट करने के आरोपी अभियुक्त ओमप्रकाश वर्मा पुत्र राम चन्दर वर्मा नि० गड़रही थाना छपिया जनपद गोण्डा को थाना छपिया में पंजीकृत मु०अ०सं०—333/20, धारा 279.304ए.427 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 08.09.2020 को लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाकर मोटरसाईकिल में टक्कर मार दिया था। जिससे वादी मो० कासिम पुत्र अजमत अली नि० ग्राम करमा थाना गौर जनपद बस्ती की माँ की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना छपिया में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें छपिया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को बभनान बाजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## 01 किलो 370 ग्राम अवैधगांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. हुकुम दत्त चौहान पुत्र चन्द्रपाल चौहान नि० धरुकन पुरवा मौजा आदमपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग —

01. मु०अ०सं०—196/20, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 किलो 370 ग्राम अवैध गांजा

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 10.09.2020 को थाना उमरीबेगमगंज के उ०नि० रुदल बहादुर सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर ढेकिया पुलिया के पास से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 370 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। अभियुक्त को थाना उमरीबेगमगंज में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० रूदल बहादुर सिंह।
02. का० पंकज यादव।
03. का० राम अनिल शर्मा।

## 280 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. किशन लाल पुत्र स्व० बृजराज शुक्ला नि० रामापुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग —

01. मु०अ०सं०—162/20, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 280 ग्राम अवैध गांजा

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 10.09.2020 को थाना कौड़िया के उ०नि० अंकुर वर्मा मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर आर्य नगर नहर पुलिया के पास से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 280 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना कौड़िया में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० अंकुर वर्मा।
02. का० विवेक कुमार।
03. का० दीपक कुमार।

## 22 ग्राम अवैध मार्फिन बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मंगल प्रसाद पुत्र राजवंशी नि० मुराईनपुरवा मौजा सेल्हरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग —

01. मु०अ०सं०—216/20, धारा 8/21 एन०डी०पी०एस० थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 22 ग्राम अवैध मार्फिन।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 09.09.2020 को थाना कटराबाजार के उ०नि० नीरज सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को भटपुरवा चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 22 ग्राम अवैध मार्फिन बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना कटराबाजार में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० नीरज सिंह।
02. हेड का० मणिकान्त उपाध्याय।

## थाना कटराबाजार ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. हामिद बाबू पुत्र स्व0 अब्दुल रहमान नि0 ग्राम जोगा मौजा सिसईजोगा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—218/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 10.09.2020 को थाना कटराबाजार के उ0नि0 कर्मवीर सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को ग्राम सिसई जोगा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 कर्मवीर सिंह।

02. का0 गौरव सिंह।

## थाना नवाबगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मो0 हामिद पुत्र मो0 मुन्ना नि0 मोहल्ला चाई टोला थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—383/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 10.09.2020 को थाना नवाबगंज के उ0नि0 गौरव सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को कोल्ड स्टोर चौराहा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 गौरव सिंह।

02. उ0नि0 सुनील कुमार।

03. हेड का0 अखिलेश सिंह।

04. हेड का0 राजेश यादव।

## थाना मोतीगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. हंसराज पुत्र गंगाराम नि0 मतवलिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—236/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 10.09.2020 को थाना मोतीगंज के व0उ0नि0 जितेन्द्र यादव मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को मतवलिया नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मोतीगंज में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. व0उ0नि0 जितेन्द्र यादव।
02. उ0नि0 विनोद कुमार सिंह।
03. का0 अंगद यादव।
04. का0 विजय बहादुर यादव।
05. का0 आशुतोष शर्मा।

## थाना छपिया ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अजय उर्फ जालिम पुत्र ठाकुर प्रसाद यादव नि0 शैजलपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—338/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 09.09.2020 को थाना छपिया के उ0नि0 दिवाकर मिश्रा मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बड़ऊताल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 दिवाकर मिश्रा।
02. का0 रामू सिंह।

## थाना इटियाथोक ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. समसीर अली पुत्र मो० इदरीश नि०परना तकिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—313/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 09.09.2020 को थाना इटियाथोक के व०उ०नि० राजेश कुमार पाण्डेय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को दुल्हापुर पहाड़ी बाजार के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. व०उ०नि० राजेश कुमार पाण्डेय।

02. हेड का० शम्भू तिवारी।

03. का० आदित्यनाथ यादव।

## थाना इटियाथोक ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. संजय वर्मा पुत्र सतीश वर्मा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—314/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 09.09.2020 को थाना इटियाथोक के उ०नि० सत्यनरायण यादव मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को मेई पाठक पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० सत्य नरायण यादव।

02. का० कुशहर यादव।

03. का० संजीव वर्मा।

## थाना उमरीबेगमगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

### गिरफ्तार अभियुक्त—

01. संजय तिवारी पुत्र तुलसीराम तिवारी नि0 विंध्या तिवारी पुरवा मौजा उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

### पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—194/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

### बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 09.09.2020 को थाना उमरीबेगमगंज के उ0नि0 अश्वनी कुमार पाण्डेय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को डरौली डिहा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 अश्वनी कुमार।
02. का0 अमरजीत यादव।
03. का0 धर्मपाल यादव।

**सराहनीय कार्य**  
**दिनांक 10.09.2020**  
**पुलिस अधीक्षक कार्यालय मीडिया सेल गोण्डा**

**पुलिस मुठभेड में डकैती की योजना बनाते समय 05 अभियुक्त गिरफ्तार, पिस्टल, तमंचा व कारतूस बरामद, रंगदारी मांगने की घटनाओं का हुआ खुलासा—**

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. रज्जू खॉ उर्फ राजा उर्फ शहरयार खॉ पुत्र जर्जर खॉ नि० ग्राम अल्हारपुरवा मौजा निंदूरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
02. फैजल रजा उर्फ फैसल पुत्र मुंशी रजा उर्फ चन्नू नि० ग्राम जोगीपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. हसनैन खॉ पुत्र मेराज खॉ नि० ग्रा० अल्हार पुरवा मौजा निंदूरा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
04. नासिर खां उर्फ सागर अली पुत्र मजहरूल हसन खां नि० खान चौराहा पिपरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
05. मुर्सीद आलम पुत्र खुर्शीद आलम नि० ग्रा० खिंदूरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 अदद पिस्टल 32 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस।
02. 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।
03. 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस।
04. 01 अदद अपाचे मोटरसाईकिल।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०—348/20, धारा 307.399.402 भादवि थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—349/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।
03. मु०अ०सं०—350/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।
04. मु०अ०सं०—351/20, धारा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**अनावरित अभियोग —**

01. मु०अ०सं०—346/2020, धारा 386 भादवि थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. मु०अ०सं०—263/2020, धारा 387.507 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**संक्षिप्त विवरण—**

दिनांक 01.09.2020 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा थाना करनैलगंज के हार्डवेयर व्यापारी से 50,0000/- की रंगदारी मांगी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी दीपक सिंहानिया पुत्र स्व० पवन सिंहानिया नि० मो० गांधी नगर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना करनैलगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राज करन नय्यर ने घटना का शीघ्र अनावरण करने के निर्देश प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज व स्वाट/सर्विलांस टीम को दिये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम आज दिनांक 10.09.2020 को थाना करनैलगंज व स्वाट की संयुक्त टीम सुरागरसी-पतारसी हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी, कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग शीशामऊ नहर पुलिया के पास डकैती योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस बल द्वारा मौके पर दबिश देकर मुठभेड के दौरान 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। जामातलाशी के दौरान अभियुक्त रज्जू उर्फ राजा उर्फ शहरयार के पास से 01 अदद पिस्टल .32 बोर मय 03 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस, अभियुक्त फैजल उर्फ फैसल रजा के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व अभियुक्त हसनैन उर्फ बादशाह खां के पास से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ करने पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.09.2020 को करनैलगंज हार्डवेयर व्यापारी से एक योजनाबद्ध तरीके से 50,0000/- की रंगदारी मांगी गयी थी, न देने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी तथा अक्टूबर महीने में थाना कटराबाजार के एक व्यक्ति से 10 लाख रू० की फिरौती भी मांगी गयी थी।



अभियुक्तगणों को थाना को करनैलगंज में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

## गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज राजनाथ सिंह।
02. प्रभारी स्वाट टीम अतुल चतुर्वेदी।
03. व0उ0नि0 विनय कुमार यादव।
04. उ0नि0 रणजीत यादव।
05. उ0नि0 संतोष तिवारी स्वाट टीम।
06. का0 अंगद राय।
07. का0 अबरार खां।
08. का0 शेख अशफाक।
09. का0 सत्य प्रकाश यादव।
10. हेड का0 श्रीनाथ शुक्ला (स्वाट टीम)
11. का0 मुलायम यादव।
12. का0 राजेन्द्र यादव।
13. का0 अरविन्द कुमार।
14. का0 अमित यादव।